103

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक अपील 1008—दो/2007 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 27.02.07 के द्वारा न्यायालय आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 10/निगरानी/2004—05.

.....

1—महिला अनीता देवी पत्नी रघुनन्दन सिंह
2—बृजेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र रघुनन्दन सिंह
3—दीपेन्द्र पुत्र हरिशरण सिंह ठाकुर
निवीगण ग्राम रायपुरा तहसल मेंहगाव
जिला भिण्ड म0प्र0 हाल निवासी
मेला ग्राउण्ड के पीछे ग्वालियर

--- अपीलार्थीगण

विरूद्ध

1—शिवराम सिंह पुत्र नेपाल सिंह ठाकुर
निवासी ग्राम विरगंवा तहसील मेहंगाव
जिला भिण्ड म0प्र0

--- प्रत्यर्थी

.....

श्री एस0 के0 वाजपेयी, अभिभाषक, अपीलार्थी
श्री डी0 एस0 चौहान, अभिभाषक, प्रत्यर्थी

.....

आदेश

(आज दिनांक 16/4/18 को पारित)

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.02.07 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का सारांश संक्षेप में इस प्रकार है कि महिला अनीतादेवी पत्नी रघुनन्दन सिंह बृजेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र रघुनन्दन सिंह एवं दीपेन्द्र सिंह पुत्र हरीशरण सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम रायपुरा तहसील मेहगांव ने तहसीलदार मेहगांव के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि ग्राम विरगवां स्थित भूमि सर्वे कमांक 1025 रकवा 0.77 तथा सर्वे कमांक 1026 रकवा 1.10 है0 पर कई वर्षो से काविज होकर निरंतर कास्त करते आ रहे हैं तथा वे भूमिहीन है उनके पास उक्त भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई जीविका का साधन नहीं हैं अतएव उन्होंने उक्त भूमि का पटट्ा किये जाने का निवेदन किया। तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 80/अ–19/2000–01 पर प्रकरण दर्ज किया और दिनांक 26.12.02 को आदेश पारित कर राजस्व पुस्तक परिपत्र 4(3) की कण्डिका 24 के अन्तर्गत ग्राम विरगवां स्थित उपरोक्त प्रश्नाधीन भूमि का अनावेदकगण के नाम नियमानुसार निर्धारित प्रीमियम राशि जमा करने की शर्त पर व्यवस्थापन कर दिया। तहसीलदार के इस आदेश से दुखी होकर आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी मेहगांव के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो कमांक 37/अपील/2002–03 पर दर्ज हुई और आदेश दिनांक 2.7.04 द्वारा अपील निराधार मानकर निरस्त कर दिया। अनुविभागीय अधिकारी मेहगांव के उक्त आदेश से असन्तुष्ट होकर आवेदक ने अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के न्यायालय में प्रस्तुत की उनके द्वारा दिनांक 27.2.07 द्वारा निगरानी स्वीकार करते हुये विवादित भूमि को शासकीय मद में दर्ज करने का आदेश पारित किया। इससे दुखित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की।

3– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न अभिलेख का अध्ययन किया। अध्ययन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में अपीलार्थीगण द्वारा ग्राम वरगवां की भूमि सर्वे कमांक 1025 रकवा 0.77 तथा सर्वे कमांक 1026 रकवा 1.10 है0 पर कई वर्षो से काविज होकर निरंतर कास्त करते आ रहे हैं तथा वे भूमिहीन है उनके पास उक्त भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई जीविका का साधन नहीं हैं अतएव उन्होंने उक्त भूमि का पटट्ा किये जाने का निवेदन किया। खसरा सम्वत् 2056 लगायत 2060 के कालम नम्बर 14 में कलेक्टर के प्रकरण कमांक 301/अ–59/2000–01 में पारित आदेश दिनांक 29.6.01 के द्वारा चरनोई से काबिल

कास्त घोषित करने का उल्लेख है, कलेक्टर के आदेश दिनांक 29.6.01 की प्रकरण में प्रस्तुत नहीं है। प्रकरण में संलग्न आयुक्त के आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी का पति पुलिस विभाग में नौकरी करता है तथा उसके पास पूर्व से ही ग्राम रायपुरा में भूमि है तथा वह भूमिहीन नहीं है। प्रत्यर्थी शिवराम सिंह की आपत्ति पनर कोई साक्ष्य नहीं ली गई आपत्ति में उल्लेख है कि विजय प्रतापसिंह नावालिग होकर खेती नहीं करता है। दीपेन्द्र सिंह ग्राम रायपुरा का निवासी नहीं है। विवादित भूमि ग्राम वरगवां की है जिसमें हनुमान जी का मंन्दिर का निर्माण कार्य कराया गया है तथा इसके अलावा और अन्य देवताओं के स्थान बने हुये है। प्रकरण में पटवारी द्वारा खसरा की प्रति संवत् 2056 लगायत 2060 की प्रस्तुत की थी लेकिन कॉलम नम्बर 124 में विवादित भूमि को कलेक्टर भिण्ड द्वारा आदेश दिनांक 29.6.01 से काबिल कास्त घोषित किया है लेकि उक्त भूमि अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लिये आरक्षित की गई अथवा नहीं? उक्त तथ्य को छिपाया है। प्रकरण में यह भी देखने को मिला है कि उक्त ग्राम में कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग का नहीं है और वह भूमिहीन नहीं है। अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के नहीं है इससे स्पष्ट है कि उन्हें उक्त भूमि की पात्रता नहीं होने से आयुक्त चंबल संभाग द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है, उनका आदेश स्थिर रखने योग्य है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 10/निगरानी/2004–05 में पारित आदेश दिनांक 27.02.07 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर